राजस्थान राज्य
मानव अधिकार आयोग

त्रैमासिक पत्रिका

A NEWS LETTER OF RAJASTHAN STATE HUMAN RIGHTS COMMISSION

वर्ष-2 अंक : द्वितीय-तृतीय (सयुंक्तांक) वर्ष : 2007-2008 वि.सं. : 2063 बिक्री के लिये नहीं

दो शब्द

आयोग का यह 'त्रैमासिक न्यूज लेटर' मानवाधिकारों के प्रति जागरूक व्यक्तियों एवं कार्यकर्ताओं तथा शिक्षण संस्थाओं को समर्पित है। 'अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस' (10 दिसम्बर, 2006) के अवसर पर विभिन्न संस्थाओं, संगठनों एवं स्कूलों द्वारा कई कार्यक्रम अयोजित किए गये। इन कार्यक्रमो के माध्यम से आम नागरिकों के साथ–साथ विद्यार्थियों को भी उनके कर्त्तव्यों एवं अधिकारों की जानकारियां दी गई तथा इस दिशा में जागरूक रहने का संदेश दिया गया। आयोग उनके इस प्रयास की सराहना करता है।

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा भी अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर इस बार परम्परा से हटकर 10 दिसम्बर, 2006 को जयपुर के साथ–साथ पूरे प्रदेश में यह दिवस मनाने एवं आमजन को अधिक से अधिक जागरूक करने के लिए सभी संभागीय आयुक्तों एवं जिला कलेक्टरों से अनुरोध किया गया। इस अनुरोध को स्वीकारते हुए विभिन्न जिला मुख्यालयों पर मनावाधिकार दिवस मनाया गया और लोगों को जानकारियां देर जागरूक करने का प्रयास किया गया। जिले के सम्बन्धित अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ–साथ आयोग के प्रतिनिधियों ने भी इसमें शिरकत की। इस सार्थक प्रयास के लिए आयोग जिला प्रशासन की भूरि–भूरि प्रशंसा करता है। साथ ही, अपेक्षा करता है कि 'एक कल्याणकारी सरकार के नुमाइन्दे' होने के नाते जिलाधिकारीगण आगे भी संवेदनशीलता से कार्य करते हुए आयोग को इसी प्रकार सहयोग देते रहेंगे।

(जस्टिस एन.के. जैन)
अध्यक्ष

सकारात्मक दृष्टि से करें मानवाधिकारों का संरक्षण : जस्टिस नगेंद्र

आगरा (ह.सं.)। हर मानव को सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए उपलब्ध संसाधनों से ही मानव अधिकारों का संरक्षण व संवर्द्धन करना चाहिए। यह उद्बोधन था जस्टिस नगेंद्र कुमार जैन का। मद्रास और कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश व राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस जैन विश्व मानवाधिकार दिवस की पूर्व संध्या पर विवि के मानवाधिकार छात्रों को मानवीय अधिकारों की जागृति को बढ़ावा देने का पाठ पढ़ा रहे थे। राजस्थान राज्य आयोग के विषय में विस्तार से प्रकाश डालते हुए जस्टिस जैन ने कहा कि आयोग छोटे-छोटे स्कूली छात्रों के माध्यम से मानवाधिकार जागरण अलख घर-घर जगा रहा है। हिंदुस्तान से बातों में उन्होंने बताया मानवाधिकार जागृति के लिए जो प्रयोग राजस्थान में स्कूली छात्रों को जोड़कर किया जा रहा वह काफी सफल है। उसे में इसे अपनाया जा सकता है। उन्होंने इस विषय पर सकारात्मक दृष्टिकोण से कार्य करने पर जोर दिया। बच्चों में जागरूकता का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जब दस साल का बच्चा अधिकार की लड़ाई लड़ सकता है तो तुम लोग तो पीजी मानवाधिकार के छात्र हो। मानवाधिकारों के लिए छोटे-छोटे ग्रुप बनाकर काम करो। विवि के छात्रों को राजस्थान आयोग के अध्यक्ष ने अपने यहां आने का निमंत्रण भी दिया उन्होंने कहा कि इसके लिए वे बाकायदा अंबेडकर विवि के कुलपति को पत्र भी लिखेंगे। जस्टिस का स्वागत करने वाले विवि के छात्रों में सुषमा अग्रवाल, नितिन अग्रवाल, सुमित आदि थे।

मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए शिक्षा का प्रसार जरूरी

जयपुर, 11 दिसम्बर (कासं)। विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर सोमवार को सीकर में कलक्ट्रेट सभागार में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रशासनिक एवं विभागीय अधिकारियों सहित अभिभाषक, शिक्षाविद एवं पत्रकार उपस्थित थे।

राज्य मानवाधिकार आयोग के सचिव गिरिराज सिंह ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए शिक्षा का व्यापक प्रसार जरूरी है। इस कार्य में मीडिया सहित समाज के सभी वर्गों का सहयोग जरूरी है।

बैठक के बाद सिंह ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि गत छह वर्षों की अवधि के दौरान आयोग में लगभग 16 हजार शिकायतें दर्ज हुई जिनमें से आयोग की ओर से विभिन्न 46 मामलों में सरकार को दिशा निर्देश जारी किए गए।

उन्होंने बताया कि मामला दर्ज होने के एक सप्ताह में उस पर यह कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। बैठक में उपस्थित एडवोकेट राजेन्द्र शर्मा, शब्बीर कमाल, शहर कोतवाल, राजेन्द्र त्यागी महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक देवीसिंह झाझड़िया ने सचिव के समक्ष अपनी शंकाओं को बताया जिनका उन्होंने मौके पर ही समाधान किया।

मानवाधिकार आयोग के महत्वपूर्ण क्रियाकलाप

अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ दुर्व्यव्यहार प्रकरणों में राहत

1– श्री हरिकिशन बावरी की पुत्री के साथ अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम के अन्तर्गत 363, 366, 376 की धाराओं में दोषियों के विरूद्व दर्ज परिवाद संख्या– .6/15/1528 में आयोग के सुझावनुसार पीडिता को 50000 रूपये की सहायता जिला कलेक्टर, हनुमानगढ द्वारा प्रदान की गई।

2– श्रीमती धापू देवी मेघवाल के साथ दिनांक 21.09.2005 को हुए बलात्कार प्रकरण में आयोग में दर्ज परिवाद संख्या– 05/22/3781 में दिए गये निर्देशानुसार जिला मजिस्टेट, जोधपुर ने रूपये 6250/– की आर्थिक सहायता पीडिता को स्वीकृत की।

व्यथित लोगों को आयोग द्वारा राहत प्रदान करना

1– श्रीमती नर्बदा शर्मा, जिसके पति सुरेश कुमार शर्मा, राजस्थान विद्युत मण्डल में वरिष्ठ लिपिक थे, का देहावसान 09.04.1989 को हो गया, जिसकी पारिवारिक पेंशन व अन्य परिलाभों के सम्बन्ध मे आयोग में दर्ज परिवाद संख्या– 06/24/112 में निर्देशानुसार अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम द्वारा परिवादिया को पेंशन लाभों की बकाया राशि रूपये 1,50,259/– का भुगतान कर उसका पारिवारिक मासिक पेंशन 833/– चालू की गई।

2– श्री लक्ष्मण गौड, वार्ड–ब्याय, जो जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली के अधीन कार्यरत है, को चार माह से वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा था। आयोग में दर्ज परिवाद संख्या– 06/26/1148 में आयोग द्वारा दिए गये निर्देशानुसार बकाया वेतन का भुगतान दिनांक 05..5.2006 को कर दिया गया।

3– श्री पुरूषोत्तम लाल पुरोहित द्वारा दर्ज परिवाद के सम्बन्ध में आयोग द्वारा अधीक्षक, डाकघर, मारवाड, पाली खण्ड को परिवाद संख्या– 06/26/1813 में दिए गये निर्देशानुसार परिवादी को जी.पी.एफ. राशि रूपये 29,561/– का भुगतान दिनांक 06.9.2006 को तथा केन्द्रीय कर्मचारी बीमा समूह 80 का भुगतान 7127 दिनांक 28.8.2006 को किया गया।

4– श्री दिनेश चन्द राजवंशी, पूर्व कांस्टेबल के पेंशन प्रकरण के सम्बन्ध मे आयोग द्वारा दर्ज परिवाद संख्या– 05/08/2608 में दिए गये निर्देशानुसार परिवादी का पेंशन प्रकरण पुलिस अधीक्षक, सी.आई. डी.सी.बी. वि.शा. जोन जोधपुर द्वारा निस्तारित कर पी.पी.ओ. नं 439111/आर.जे. एवं जी.पी.ओ. नं. 458929 आर.जे. जारी कराये गये।

माह अक्टूबर, 2006 से दिसम्बर, 2006 तक आयोग द्वारा महत्वपूर्ण आदेश पारित किए गये :–

1– श्री दिलीप सिंह प्रजापत द्वारा परिवाद संख्या– 06/24/217 के अनुसार भूतपूर्व जिला कलेक्टर एवं आर.ए.एस. अधिकारी के विरूद्व भ्रष्टाचार की शिकायत के सम्बन्ध में कराई गई जांच में परिवादी द्वारा की गई शिकायत निराधार पाये जाने पर प्रकरण समाप्त किया गया।

2– कुमारी रंजना सैनी, अधिवक्ता द्वारा एस.एच.ओ., टीबी. के विरूद्व अभद्रता का व्यवहार करने के सम्बन्ध में प्रस्तुत शिकायत के परिवाद संख्या– 05/15/3648 में आयोग द्वारा पारित निर्देशानुसार थानाधिकारी पर लगाये गये आरोपों को प्रमाणित मानते हुए उसे 'परिनिन्दा' के दण्ड से दण्डित किया गया।

3– श्री फूलाराम द्वारा पेश परिवाद संख्या– 06/29/2123 में आयोग द्वारा कराई गई जांच के अनुसार मुल्जिमान के विरूद्व आरोप प्रमाणित पाये जाने पर अनुसंधान उपरान्त न्यायालय में चालान पेश किया गया।

4– भूतपूर्व सैनिक श्री रामनिवास द्वारा आयोग मे प्रेषित संख्या– 06/11/123 में दिए गये निर्देशानुसार

परिवादी की पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है तथा ऐरियर भुगतान की कार्यवाही जारी है।

5– श्री ख्यालीराम मीणा द्वारा उनकी पदोन्नति के संबंध ा में आयोग में प्रस्तुत परिवाद संख्या– 04/24/479 में दिए गये निर्देशानुसार कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा परिवादी की पदोन्नति की जा चुकी है।

आयोग द्वारा निरीक्षण

आयोग के माननीय सदस्य श्री पुखराज सीरवी द्वारा दिनांक 16.7.2006 को पुलिस थाना, डिग्गी, जिला टोंक का निरीक्षण कर थाने के रख रखाव के संबंध में दिशा निर्देश प्रदान किए।

आयोग के माननीय सदस्य श्री पुखराज सीरवी द्वारा दिनांक 25.9.2006 को राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, जालौर एवं दिनांक 25/26.09.2006 को महिला शिक्षण विहार, जालौर का आकस्मिक निरीक्षण कर पाई गई कमियों के संबंध में संबंधित अधिकारियों को सुधार हेतु निर्देश दिए गये।

परिवाद संख्या–05/17/369 में दिए गये आदेशों की पालना में जयपुर शहर में निम्न थानों का आयोग के निरीक्षण दल द्वारा आकस्मिक निरीक्षण कर डी.के. बसु प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशों की जानकारी प्राप्त कर तथा पाई गई त्रुटियों के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश दिए गये।

1. जालुपुरा थाना 2. संजय सर्किल थाना
2. नाहरगढ थाना 4. विद्याधर नगर थाना
5. मुरलीपुरा थाना 6. झोटवाडा थाना

परिवाद संख्या 06/17/1090 में दिए गये आयोग के आदेशों की पालना में सम्पूर्णानन्द बन्दी खुला शिविर, सांगानेर का निरीक्षण आयोग के निरीक्षण दल, सचिव एवं सहायक पंजीयक के द्वारा दिनांक 10.08.2006 को किया गया तथा सुधार हेतु आवश्यक निर्देश दिया गया।

परिवादों को निस्तारण

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के सम्मुख दिनांक 30–06–2006 को 1115 प्रकरण विचाराधीन थे। माह जुलाई, 2006 से दिसम्बर, 2006 तक की अवधि में आयोग के सम्मुख 1918 नये परिवाद सामने आये। आयोग द्वारा इस त्रैमास अवधि में कुल 1169 परिवादों का निस्तारण किया। दिनांक 30 सितम्बर, 2006 को आयोग के सम्मुख 1124 प्रकरण शेष हैं, जो कि जागरूकता का सूचक हैं।

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के द्वारा जनपयोगी प्रकाशन कराया गया । मानवाधिकार साक्षरता के प्रसार, जागरूकता एवं अधिकारों के संरक्षण हेतु निम्न जनपयोगी प्रकाशन कराया गया :–

क्र.सं. नाम बुकलेट्स

1– बालको के अधिकार
2– हूमन राइट्स
3– एचआईवी/एड्स एवं हूमन राइट्स
4– मानव अधिकार और जैन धर्म
5– आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देश एवं अन्य गतिविधियां
6– आयोग की कार्यविधि शक्तियां एवं परिवादों की निस्तारण प्रक्रिया
7– आर्टिकल–21
8– महिलाओं के कानूनी अधिकार
9– दलितों के अधिकार
10– मानव अधिकार और राज्य की जन उपयोगी योजनाएं
11– गिरफ्तारी
12– जेल कारावास से सम्बन्धित प्रावधान एवं गतिविधियां
13– विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास।

मानव अधिकार आयोग द्वारा प्रकाशित जन उपयोगी प्रकाशन के पुनः प्रकाशन हेतु निम्न संस्थाओं को आयोग ने स्वीकृति प्रदान की हैं :–

1– श्री पदम कुमार जैन, अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जिला एवं सैशन न्यायाधीश, करौली।

2– श्री बनवारी लाल शर्मा, अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जिला एवं सैशन न्यायाधीश, सिरोही।

3– श्री एन.के. पुरोहित, जिला एवं सैशन न्यायाधीश, अजमेर।

4– प्रधानाचार्य, महावीर पब्लिक स्कूल, जयपुर।

5– सचिव, कट्स, जयपुर।

6– अध्यक्ष, रोटेरी क्लब, जयपुर मेटो, जयपुर

7– श्री एस.आर. जोशी एसोसियेट्स, जयपुर।

8– श्री जिनेश जैन एसोसियेट्स, जयपुर।
In the memory of Late Justice R.P. Vyas

9– श्री मदन मोहन ब्रजमोहन मोदी, मोदी भवन, ब्यावर।

10– श्री दिगम्बर जैन शिक्षा परिषद्, महावीर मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

11– श्री दिगम्बर जैन एलुमिनी एसोसियेशन
(In the memory of Late Shri Surendra Papdiwal)

12– प्रधानाचार्य, सुबोध पब्लिक स्कूल, जयपुर।

13– श्री जीवराज जी, श्रम विभाग, राजस्थान, जयपुर।

14– प्रोजेक्ट डायरेक्टर, राजस्थान स्टेट एड्स कन्टोल सोसायटी, जयपुर

15– समाचार जगत व दैनिक नवज्योति में प्रकाशन (अंग्रेजी में प्रकाशित पुस्तकों के अलावा।)

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर द्वारा माह अक्टूबर, 2006 से दिसम्बर, 2006 तक के त्रैमास में निम्न सेमिनार आयोजित किए गये:–

1– दिनांक 09.10.2006 को 'राज्य में महिलाओं एवं बच्चों के मानवाधिकारों के संरक्षण' विषय पर एक सेमिनार आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारीगण व इस क्षेत्र में कार्यरत एन.जी.ओ. के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

2– दिनांक 17.11.2006 को राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा कारागार विभाग के सहयोग से 'प्रिजन्स मैनेजमेन्ट बिल 1998' पर एक दिवसीय वर्कशॉप आयोजित की गई, जिसमें संबंधित विभागों के अधिकारीगण व एन.जी.ओ. के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

3– राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग द्वारा अन्तर्राष्टीय मानव अधिकार दिवस दिनांक 10 दिसम्बर, 2006 को मनाये जाने हेतु समस्त संभागीय आयुक्त एवं समस्त जिला कलेक्टर्स एवं माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षा आयुक्तों को निर्देश प्रदान किए गये तथा आयोग के प्रतिनिधि के बतौर माननीय सदस्य श्री पुखराज सीरवी बाडमेर, आयोग के सचिव श्री गिरीराज सिंह सीकर तथा आयोग के उप सचिव श्री रामजीलाल मीणा अजमेर में आयोजित समारोह में भाग लिया। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा इस अवसर पर आगरा के अम्बेडकर कॉलेज, आगरा में एल.एल.एम. के छात्रों के साथ मानवाधिकारो के सम्बन्ध में चर्चा का तथा आगरा एवं मथुरा में आयोजित 'मानवाधिकार दिवस' कार्यक्रमों में भाग लिया।

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग की बेवसाईट www.rshrc.nic.in है, जो आयोग द्वारा समय–समय पर अपडेट की जा रही है तथा आयोग से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण सूचनाऐं इस बेवसाईट पर उपलब्ध कराई जा रही है।

आखिर निगम ने माना
हिंगोनिया गोशाला की
खबर सच थी

भास्कर ने सबसे पहले उजागर किया था कि प्रतिदिन 30 से 40 के बीच गायें मरती हैं

नगर संवाददाता, जयपुर

हिंगोनिया गोशाला में गायों की दुर्दशा पर राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा नगर निगम व जिला प्रशासन से मांगे जवाब के बाद नगर निगम ने गायों के मरने को खास स्वीकार कर ली। आयोग ने जिला प्रशासन द्वारा समय पर जवाब नहीं देने पर नाराजगी जताई है। प्रशासन को रिमाइंडर भेजा गया है। इसके साथ ही राज्य मानवाधिकार आयोग ने अपने सचिव व रजिस्ट्रार को हिंगोनिया गोशाला का निरीक्षण कर दस दिन में तथ्य पेश करने के आदेश दिए हैं। निगम ने मानवाधिकार आयोग को भेजे अपने जवाब में प्रतिदिन 25-30 गायों के मरने की बात स्वीकार की है।